1. बबलू पुत्र ग्यारसा,
2. प्रभात पुत्र ग्यारसा (फौत) जरिये मुकामान,
   2/1. हरसहाय पुत्र प्रभात,
   2/1. कैलाश पुत्र प्रभात,
   2/3. भरत पुत्र प्रभात,
3. रामसहाय पुत्र ग्यारसा,
4. अर्जुन पुत्र ग्यारसा, समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोदया पुत्र रामनाथ (फौत) जरिये कायम मुकामान,
   1/1. रामपाल पुत्र गोदया जाति मीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत विधानी जरिये सरपंच पंचायत समिति सांगानेर तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये उपायुक्त जोन–9 जे.एल.एन.मार्ग जयपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हेमन्त सोगानी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री गोकुल नारायण अग्रवाल एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 03.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चक सालागरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 62 लगायत 68, खसरा नम्बर 69/1 खसरा नम्बर 70 लगायत 78 कुल किता 17 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 61, 62 मिन, 63 लगायत 68, 71, 62 भिन, 72 मिन, 60, 59, 73, 74, 69/213 की काश्त की भूमि का पर्चा अपीलार्थी के पिता ग्यारसा वल्द गोपाल हिस्सा 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता गोदया वल्द रामनाथ हिस्सा 1/2 जारी हुआ इस प्रकार उक्त जारीशुदा पर्चे की खातेदारी की भूमि को ग्राम पंचायत विधानी ने अपने आदेश दिनांक 29.06.1961 को पंचायत के कोरम में बिना किसी आदेश के हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता गोदया वल्द रामनाथ के नाम हिस्सा 1/2 भूमि को नामान्तरकरण यह कहते हुए तस्दीक कर दिया कि ग्यारसा वल्द गोपाल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपने 1/2 हिस्से की भूमि गोदया वल्द रामनाथ को देना चाहता है, उक्त आदेश का ईल्म अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2015 को तब हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन कृषि आराजीयात में अपीलार्थी की कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 भू–माफियाओं को लेकर रोड़ बनाने के लिऐ जे.सी.बी. लेकर आ गया तथा अपीलार्थी को उसके पूर्वजों की सम्पत्ति से बेदखल करने लग गया तो अपीलार्थी ने कहा कि आराजी हमारे पूर्वजों की सम्पत्ति है तथा हमारे बाप–दादाओं के नाम है और हमारे बाप–दादाओं के समय से ही आराजी पर हमारा कब्जा–काश्त चला आ रहा है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि उक्त जमीन में आपका कोई लेना–देना नही है और प्रार्थी को वर्तमान जमाबन्दी की नकल फोटो कॉपी फैकते हुऐ कहा कि यह जमीन सम्पूर्ण मेरे पिता के नाम है, अपीलार्थीगण ने अपनी कब्जे काश्त की भूमि के दस्तावेज निकालने पर नामान्तरकरण की जानकारी हुई और उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 29.12.2015 को प्राप्त हुई जिससे जानकारी की दिनांक से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 30.03.2016 को कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमा दी गई है जो आदेश विधि एवं कानून के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर बिना गौर किये व बिना मनन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने साजपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करके अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति का बिना किसी कारण के व बिना किसी प्रावधानों के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 के पिता को प्रदान कर दिये जो कानूनी प्रावधनों के बाहर जाकर किया गया कृत्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुऐ कल्पित कयासों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्रावली पर यह तथ्य शुरू से ही मौजूद था कि ग्राम पंचायत को भू राजस्व अधिनियम या काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कानूनन कोई अधिकार नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत का आदेश सद्भावना के आधार पर पारित आदेश मानते हुये ग्राम पंचायत के आदेश को यथावत रखा जबकि इस प्रकार की कानून में संभावनाऐ या सद्भावना का कही भी महत्व नही है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय द्वारा केवल कानूनी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायिक निर्णय किया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर बगैर मनन किये ही ग्राम पंचायत के आदेश को सद्भावना से की गई सम्यक् त्रुटि माना है जो कानूनन सही नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि जब भू राजस्व अधिनियम या काश्तकारी अधिनियम में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कानूनन अधिकार ही नही है तो ग्राम पंचायत का उक्त कृत्य सद्भावना से की गई सम्यक् त्रुटि की श्रेणी में नही आता

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को सम्यक् त्रुटि मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि की मंशा के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया है कि ग्यारसा वल्द गोपाल द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नही देने से उक्त नामान्तरकरण की स्वयं सिद्धता पुष्ट व प्रमाणित निःसन्हेह ज्ञात होती है उक्त अधीनस्थ न्यायालय का मन्तव्य अपने आप में ही असत्य है जब ग्राम पंचायत को किसी प्रकार के कानूनन खातेदारी ट्रांसफर करने या नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार ही नही था तो ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार कानून के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर भी अपना स्वयं का इच्छानुसार निर्णय पारित किया है जबकि कानून एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी एबनिशियों वोईड आर्डर है तो उस आदेश के विरूद्ध लिमिटेशन जानकारी के दिन से ही प्रारम्भ होती है ऐसे मामलों में लिमिटेशन लागू नही होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अपने स्वविवेक के आधार पर कानून के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 व नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 29.06.1961 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के पूर्वज ग्यारसा द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग अपने सगे भाई के पक्ष में करके अपने हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण अपने सगे भाई के नाम कराने की सहमति दी गई है जिसके सम्बन्ध में स्वयं ग्यारसा द्वारा उक्त नामान्तरकरण की पुष्ट अपनी अंगूठा निशानी देकर अपने कथन की पुष्टि की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट के पूर्वज को प्रारम्भ से ही रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार ग्यारसा द्वारा अपने जीवनकाल मे उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कभी कोई उज्रात/अपील पेश नही की गई है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्यारसा को उक्त नामान्तरकरण से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही थी। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्यारसा के मृत्यु होने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को परेशान व हैरान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा खातेदार ग्यारसा की सहमति से अपने हिस्से की आराजी गोदया वल्द रामनाथ के नाम दर्ज कराने का कथन अंकित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1 भरा गया है तथा उक्त नामान्तरकरण पर ग्यारसा की अंगूठा निशानी भी अंकित की गई किन्तु भू राजस्व अधिनियम या काश्तकारी अधिनियम में उक्त प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को कानूनन प्रदत्त नही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सद्भावना से की गई क्षम्य त्रुटि माना है। ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ही उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार करने में त्रुटि मान रहा है तो ऐसे में अपीलान्ट की अपील को खारिज करने के कोई ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे तथा इस प्रकार के अवैध और अनुचित आदेश के विरूद्ध अपील करने में मियाद का बिन्दु भी बाध्य नही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 पारित किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है साथ ही उक्त तथ्यों के गद्देनजर नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 29.06.1961 वाके ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर को भी कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता किन्तु उक्त नामान्तरकरण काफी पुराना होने से वर्तमान में उसे निरस्त किया जाना भी ठीक नही होगा है किन्तु न्यायहित में प्रकरण में विस्तृत जॉच हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण में विस्तृत जॉच की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1 वाके ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर के सम्बन्ध में 2 माह में विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।